संख्या— /XXIV(3)/2016- 01(23)/2016

प्रेषक,

एस0 रामास्वामी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
कुमाऊँ विश्वविद्यालय,
नैनीताल।

उच्च शिक्षा अनुभाग—3 देहरादून: दिनांक 17 अगस्त, 2016

विषयः—सरस्वती इन्स्टीट्यूट ऑफ मेनेजमेन्ट एण्ड टैक्नोलोजी, रूद्रपुर, ऊधमसिंह नगर की व्यावसायिक पाठ्यक्रम एम0एड0 एवं बी0कॉम—(ऑनर्स) का शुल्क निर्धारण विषयक।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अध्यक्ष, सरस्वती इन्स्टीट्यूट ऑफ मेनेजमेन्ट एण्ड टैक्नोलोजी, रूद्रपुर, ऊधमसिंह नगर के पत्र संख्या : SIMT/Admin/2727, दिनांक 28.07.2016 द्वारा किये गये अनुरोध के कम में सम्यक विचारोपरान्त व्यावसायिक पाठ्यक्रम एम0एड0 एवं बी0कॉम—(ऑनर्स) का शुल्क वैकल्पिक व्यवस्था के अन्तर्गत निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन एतद् द्वारा निर्धारित किया जाता है :—

(1) एम0एड0

(1) वर्ष 2007 में निर्धारित शुल्क— रू0 54,300/— प्रतिवर्ष
(2) रू0 54,300 का 25 प्रतिशत— रू0 13,575/—
(3) वर्तमान में एक वर्ष हेतु निर्धारित शुल्क (1+2) रू0 67,875/—
(4) अतएव प्रति सेमेस्टर शुल्क होगा रू0 67875÷2= 33937.50 अर्थात रू0 34000/—

(2) बी0कॉम—(ऑनर्स)

क्र0 स0	सेमेस्टर	ट्यूशन फीस	परीक्षा शुल्क	पुस्तकालय	कुल योग
1.	प्रथम सेमेस्टर	18000 (रू0 15000 ट्यूशन फीस + रू0 2000 कॉसन मनी (Refundable) + रू0 1,000 अन्य व्यय)	1500	5000+1000=6000	25000
2	द्वितीय सेमेस्टर	15000	1500	----	16500
3	तृतीय सेमेस्टर	15000	1500	1000	17500
4	चतुर्थ सेमेस्टर	15000	1500	---	16500
5	पंचम सेमेस्टर	15000	1500	1000	17500
6	षष्टम सेमेस्टर	15000	1500	----	16500
	कुल योग	**93,000**	**9,000**	8,000	1,10,000

नोट— पुस्तकालय हेतु निर्धारित शुल्क में से रू0 5000 पाठ्यक्रम के अन्त में छात्र-छात्रा को वापस किया जायेगा।

2— संस्थान द्वारा इस आशय का शपथ पत्र नियमानुसार विश्वविद्यालय एवं शासन को उपलब्ध कराया जाना होगा कि उत्तराखण्ड अनानुदानित निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं (प्रवेश तथा शुल्क निर्धारण विनियम) अधिनियम, 2006 एवं (संशोधन) अधिनियम, 2010 में निहित व्यवस्था के अन्तर्गत

प्रवेश तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा उक्त दोनों व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के शुल्क हेतु लिया गया निर्णय/निर्धारित शुल्क संस्थान को सर्वसम्मति से मान्य होगा।

3— वर्तमान में निर्धारित शुल्क मात्र एक वैकल्पिक व्यवस्था के अन्तर्गत निर्धारित किया जा रहा है तथा प्रवेश तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा यदि उक्त निर्धारित शुल्क से न्यून शुल्क निर्धारित किया जाता है तो संस्थान द्वारा छात्र—छात्राओं के हित के दृष्टिगत गणना कर अधिक लिया गया शुल्क वापस किया जायेगा।

4— संस्थान द्वारा संबंधित नियामक संस्था द्वारा पाठ्यक्रम संचालित किये जाने हेतु निर्धारित व्यवस्था/निर्देशों का अक्षरसः अनुपालन किया जायेगा।

भवदीय,

(एस0 रामास्वामी)
अपर मुख्य सचिव।

संख्याः 262 (1)/XXIV(3)/2016- 01(23)/2016, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

(1) निदेशक, उच्च शिक्षा, हल्द्वानी, उत्तराखण्ड।
(2) अध्यक्ष, सरस्वती इन्स्टीट्यूट ऑफ मेनेजमेन्ट एण्ड टैक्नो0, रूद्रपुर, ऊधमसिंहनगर।
(3) संबंधित नियामक संस्था।
(4) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(लक्ष्मण सिंह)
संयुक्त सचिव।